न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : – राकेश कुमार गुप्ता (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या : – 74 / 2022

उनवान

मान सिंह पुत्र रतन सिंह जाति रावत निवासी ग्राम भवानीखेडा, नसीराबाद

—— प्रार्थी :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

——— अप्रार्थी :— जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू0 राज0 अधि0 1956

—: आदेश :— दिनांक :— 13.9.22

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम चैनपुरा प0म0 राजगढ के हाल खसरा नम्बर 2005 रकबा 0.24 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी काश्तकारी की है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की सुरक्षा के लिये पत्थरगढाई करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा आराजी मुनाजा के सीमांकन के लिये दिनांक 30.06.22 को तहसीलदार नसीराबाद के समक्ष आवेदन किया जिस पर सीमाज्ञान किया गया। किन्तु प्रार्थी उक्त सीमाज्ञान से संतुष्ट नही है। अतः आराजी मुतनाजा की पत्थरगढाई के आदेश पारित करावे।

अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज0 पैरोकार ने जवाब नही पेश कर जाहिर किया कि प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र स्वयं सिद्व करे। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया गया। आराजी मुतनाजा हाल खसरा नम्बर 2005 रकबा 0.24 प्रार्थी की एकल खातेदारी में है। उक्त आराजी के अडोस—पडौस में सिवायचक आराजी स्थित है। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार के समक्ष सीमाज्ञान हेतु आवेदन भी पेश किया गया था। पत्थरगढी करने से प्रार्थी के खेतो की सीमा की स्थिति स्पष्ट हो जायेगी एवं विवाद समाप्त होगा। आराजी मुतनाजा की पत्थरगढी कराने से अप्रार्थी के हित प्रभावित नही होगे। राज0 पैरोकार द्वारा प्रार्थना पत्र के खण्डन में जवाब भी पेश नही किया है।

अतः ग्राम चैनपुरा प0म0 राजगढ के हाल खसरा नम्बर 2005 रकबा 0.24 आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद आवेदनकर्ता की विधिवत उपस्थिति में उक्त आराजी की पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:42:56 IST
Reason: SelfAttested